श्री संतोष कुमार
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, सहरसा।

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सहरसा।

<u>नियमित जमानत आवेदन संख्या–264 / 2026</u>

<u>सहरसा सदर थाना काण्ड संख्या–1363 / 2025</u>

धाराः–334 (1) 303 (2) 3 (5) B.N.S.S.

राहूल मलिक, उम्र करीब 20 वर्ष, पिता–उमेश मलिक
मो0 गॉधीपथ, वार्ड नं0–39 थाना वो जिला–सहरसा।

...................................आवेदक / अभियुक्त

बनाम्

बिहार सरकार... विपक्षी

<u>16.05.2026</u> दिनांक 12.12.2025 से कारावासित अभियुक्त राहूल मलिक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को संचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार गुप्ता ने कथन किया है कि इस वाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरूद्ध दर्ज कराया गया है। अनुसंधान के क्रम में कचरे में छिपाकर रखे हुए इन्भर्टर और बैट्री बरातद की गयी, जिसके बारे में पुलिस पदाधिकारी के द्वारा यह कथन किया गया कि इसी के निशानदेही पर वह सामान बरामद हुआ है। जिस स्थान से तथाकथित चोरी की गयी इन्भर्टर और बैट्री बरामद की गयी है वह खुला हुआ आसमान है, और कोई भी व्यक्ति वहां आ जा सकता है। अंततः उनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि अभियुक्त दिनांक 12.12.2025 से कारावासित है। इस वाद में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, और आरोप पत्र भी समर्पित किया जा चुका है। अतः अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक के उपर यह आरोप है कि उसने अपने सहयोगी के साथ दुकान में चोरी किया है, और इसी के संस्वीकृति बयान के आधार पर तथाकथित चोरी की गयी सम्पत्ति इर्न्भटर और बैट्री को

कचरे में रखा हुआ बरामद किया गया है। इसके अलावा आवेदक अभियुक्त का दो आपराधिक इतिहास है। इसलिए यह जमानत प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् अभिलेख का अवलोकन किया और पाया कि इस वाद में सूचक/दुकानदार सोनू कुमार ने यह कथन किया है कि रिफ्यूजी कोलनी स्थित अपने दुकान को जब 11–12.25 के सुबह में खोलने गया तो देखा कि गोदाम का ताला और कुंडी टूटा हुआ था। इन्र्भटर, बैट्री और म्यूजिक सिस्टम तथा कुछ कपड़ा चोरी हो गया था। इसी घटना को लेकर इनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरूद्ध दर्ज कराया गया है। अनुसंधान के कम में राहूल मलिक नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई और उसके निशानदेही पर सड़क किनारे कचरा वाली ट्राली में छिपाकर रखा हुआ भी–गार्ड कम्पनी का इन्र्भटर एवं बैट्री बरामद हुई। इसी के आधार पर आवेदक को न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2025 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तब से लेकर लगातार कारावासित है। इस वाद में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है और आरोप पत्र भी समर्पित किया जा चुका है। चोरी की गयी तथाकथित सामान की बरामदगी खुले जगह से सड़क किनारे से कचरे में से की गयी जहॉ पर सामान्य लोगों का आवागमन आसानी से हो सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्त को मो0 10,000/–रूपये का बंध पत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभूति सहित दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम